बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का०आ०स० :–2/अ0प्र0–1–85/2024 327 /पटना/दिनांकः– 24.6.25

लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा श्री शम्भू शरण, कनीय अभियंता (प्रतिनियुक्त) लघु सिंचाई प्रमंडल, औरंगाबाद के विरूद्ध सरकारी कार्यों में रूचि नहीं लेने, मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत डी०पी०आर० तैयार नहीं कराने, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने आदि आरोपों पर कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, औरंगाबाद के स्तर से गठित आरोप पत्र (साक्ष्य सहित) की प्रति अग्रतर कार्रवाई हेतु विभाग को उपलब्ध करायी गयी।

2. उक्त आलोक में लघु जल संसाधन विभाग से प्राप्त आरोप पत्र पर श्री शम्भू शरण, कनीय अभियंता (प्रतिनियुक्त), लघु सिंचाई प्रमंडल, औरंगाबाद से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। श्री शरण के विरूद्ध आरोप उनके लघु जल संसाधन विभाग अन्तर्गत प्रतिनियुक्त अवधि से संबंधित होने के कारण इनके स्पष्टीकरण की प्रति लघु जल संसाधन विभाग को भेजते हुए इस पर मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध विभागीय पत्रांक 2526 अनु0 दिनांक 20.09.2024 द्वारा किया गया।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2216 दिनांक 08.03.2025 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया। जिसमें श्री शरण द्वारा आरोपों के संबंध में समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत लघु जल संसाधन विभाग द्वारा इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध लघु शास्ति की अनुशंसा की गयी है। साथ ही श्री शरण की प्रतिनियुक्ति लघु जल संसाधन विभाग से रद्द कर अपने मूल विभाग ग्रामीण कार्य विभाग किये जाने की अनुशंसा से भी लघु जल संसाधन विभाग द्वारा असहमति व्यक्त की गई।

अतः श्री शम्भू शरण, कनीय अभियंता (प्रतिनियुक्त) लघु सिंचाई प्रमंडल, औरंगाबाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम 14 (i) के तहत निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता हैः–

(i) निन्दन (आरोप वर्षः–2023–24)

17/06/2025

(भगवत राम)

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–85/2024 6616 /पटना/दिनांक :– 24.6.25

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना/कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/06/2025

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–85/2024 6616 /पटना/दिनांक :– 24.6.25

प्रतिलिपि :–अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–04 एवं प्रशाखा–12, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री शम्भू शरण, कनीय अभियंता (प्रतिनियुक्त) लघु सिंचाई प्रमंडल, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 17/06/2025

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

(snk-letter-m) Ph-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com, secy-reo-bih@nic.in